



राजस्थान—सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग,
जयपुर

फ़ोन: 0141-2704357 फ़ैक्स: 0141-2704358 email: dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक: निसंशि/संस्था-।/विसंयो/2021/ ३९३३।-६।

दिनांक: ०६/१२/२०२१

प्राचार्य,

समर्त राजकीय आचार्य/ शास्त्री
संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान।

विषय:— विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।

संदर्भ:— वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ल.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 महादेव,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होगे:-

- विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त महाविद्यालय व्याख्याता को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त/ साविलेनि/ 2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन की जा सकेगी।
- ऐसे संस्कृत महाविद्यालयों जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पद रिक्त हैं में विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
- संस्कृत महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा की जायेगी।
- वर्तमान में महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1977 में राज्य सरकार शिक्षा (गुप्त-6) विभाग के पत्र क्रमांक पं. 1(69) शिक्षा-6/2015 जयपुर दिनांक 08.02.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार योग्यताएं यूजीसी नॉर्म्स के अनुरूप रहेगी।
- स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने अथवा संत्रात् (30.04.2022) जो भी पहले हो पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था रवतः समाप्त समझी जायेगी।
- गेस्ट फैकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाना इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।
- यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021-22 के शिक्षण सत्र हेतु ही है।
- महाविद्यालय में किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति का आधार सम्बन्धित विषय की छात्र संख्या को रखा जाना। साथ ही संस्कृत वाङ्मय, साहित्य, व्याकरण, हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में न्यूनतम छात्र संख्या 25 (सभी कक्षाओं की) तथा संरक्षणीय विषय वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र एवं दर्शन आदि में न्यूनतम छात्र संख्या शास्त्री महाविद्यालय हेतु 10 एवं आचार्य महाविद्यालय हेतु 15 रखा जाना प्रस्तावित है।

9. गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :-

- A. वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करें। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित योग्यता की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जांच कर अपने अभिमत के साथ निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेंगे।
- B. आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निदेशालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर एक पैनल तैयार कर निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। निदेशालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् गेस्ट फैकल्टी के पैनल से वरीयता कम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।
- C. प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध उपलब्ध अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
- D. यह विद्या संबल योजना की व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इसको आधार बनाकर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।
- E. इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र 100/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प) भरवाकर लिया जायेगा।
- F. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- G. सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, केवल वे ही पात्र होंगे।

21/12/2021
(डॉ. दीर्घराम रामसनही)

निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संलग्न :-

1. वित्त विभाग का परिपत्र कमांक प. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021
2. गेस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
4. प्रभारी अधिकारी, आईटी सेल कृपया अपलोड करें।

21/12/2021
(डॉ. भारकर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।



राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फ़ोन: 0141-2704357 फैक्स: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



“विद्या संबंल योजना” के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी हेतु आवदेन करने संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश

1. आवेदक को विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्रों का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.rajsanskrit.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों, दिशा—निर्देशों, सेवा शर्तों का भली—भाँति अध्ययन करना।
3. आवेदन पत्र में यथा आवश्यक पूर्ति (टाईप द्वारा) की जाकर संबंधित समस्त प्रमाणित दस्तावेजों को साथ में संलग्न कर स्वैच्छिक संबंधित महाविद्यालय में डाक द्वारा / व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा।
4. गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत विषय विशेष के पदों के विरुद्ध ली जा सकेगी, जिसमें नियुक्ति का आधार संबंधित कक्षा एवं विषय की छात्रसंख्या का रहेगा।
5. नियुक्ति नियोक्ता द्वारा जारी सेवा शर्तों/राज्य सरकार के दिशा—निर्देश अधीन रहेगी।
6. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देश लागू होंगे।

यह दिशा—निर्देश सत्र 2021-22 के शिक्षण सत्र हेतु ही है।



विद्या संबंध योजना

संस्कृत शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में गेरस्ट फैकल्टी हेतु आवेदन पत्र

महाविद्यालय का नाम			पदनाम	
जिला			विषय	
विभाग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या				

आवेदक का
नवीनतम रग्नीन
फोटो

(अ) आवेदक का विवरण :

1	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	श्री / श्रीमती / सुश्री
	आवेदक का नाम (अंग्रेजी कैपीटल अक्षरों में)	Mr./Mrs./Miss
2	पिता का नाम	श्री
3	माता का नाम	श्रीमती
4	पति / पत्नी का नाम	श्री / श्रीमती
5	जन्मतिथि	आयु वर्ष
6	आधार नम्बर	
7	आयकर परमानेन्ट अकाउंट नम्बर (PAN NO.)	
8	लिंग	
9	जाति वर्ग / श्रेणी	
10	वैवाहिक स्थिति	विवाहित / अविवाहित / विधवा / विधुर / तलाकशुदा / परित्यक्ता
11	जीवित संतानों की संख्या	Total Before 1/6/2002 After rise
12	क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? यदि हाँ तो मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र सहित विवरण व प्रतिशत विवरण	प्रतिशत विवरण प्रमाण पत्र क्रमांक
13	मूल निवास का जिला व राज्य	गृह जिला राज्य
14	पत्राचार का पूरा पता पिनकोड़ सहित	
15	ई-मेल पता	
16	दूरभाष सम्पर्क	1. 2.

(ब) आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ (सैकण्डरी के उच्चतर क्रम में) :

परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	ऐच्छिक विषय-1	ऐच्छिक विषय-2	ऐच्छिक विषय-3



(आवेदक की सहशैक्षणिक योग्यताएँ : (स्काउट गाइड/एनसीसी/एनएसएस/खेलकूद/अन्य)

(द) आवेदक का शिक्षण अनुभव :

संस्था/विभाग का नाम	पदनाम	दिनांक से	दिनांक तक	शिक्षण अनुभव वर्ष

(य) सेवानिवृत्त कार्मिकों का पूर्व सेवा विवरण :

1	सेवानिवृत्ति तिथि		
2	पदनाम जिससे सेवानिवृत्त हुए	पद	विषय
3	पूर्व विभाग/पदरक्षापन का विवरण		
4	पीपीओ नम्बर		

(र) आवेदक द्वारा घोषणा :

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि –

- उपर्युक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है और इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है।
- मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय/पुलिस स्टेशन/विभाग में कोई आपराधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं चल रही है।
- यह नियुक्ति मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित शर्तों के अध्यधीन पूर्णतः अस्थायी रहेगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

प्राचार्य द्वारा अग्रेषण

संस्था का नाम :

क्रमांक : दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि –

- इस महाविद्यालय में स्वीकृत पद संख्या रिक्त पदों का विषयवार विवरण इस प्रकार है— 1.....
2..... 3..... 4..... 5..... 6.....
- इन पदों के विरुद्ध किसी भी अन्य कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है।
- इस संस्था में इन विषयों के अनुरूप कक्षावार एवं विषयवार कुल विद्यार्थी संख्या –
- संस्था प्रधान का अभिमत



(प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर)

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
विभाग के महाविद्यालय.....(संस्थान का नाम) में
 दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंनेविभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.6(2) वित्त साविलेनि 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह है कि मेरे आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। इसमें मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो उक्त पद हेतु विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू-पूर्सी, स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी, जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा/करूँगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूँगा/करूँगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं रथान परिवर्तन की मांग नहीं करूँगा/करूँगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गेस्ट फैकल्टी पर रखा गया है, उस पद के स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने अथवा सत्रांत तक जो भी पहले हो पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था खतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा/करूँगी।



- 12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नहीं कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
- 13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संरक्षण या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
- 14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।
- 15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर आधारित है। अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।



शपथग्रहिता

